तारीख	हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
		राजस्व अपील संख्या 12 / 2019 अनवान दीपाराम बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत सनावड़ा एवं अन्य
		राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय मूढ़ों का तला पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 16.11.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, राजकीय प्राथमिक विधालय मूढ़ों का तला पर पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर
16.11.2021		पत्रावली राजकीय प्राथमिक विधालय मूढ़ों का तला पर पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। उत्तरदाता सं0 01 से 10 एवं 12 से 13 उपस्थित। अपीलार्थी का कथन है, कि अपीलार्थी एवं उत्तरदाता सं0 02 से 10 सोनाराम के प्रथम वर्ग के वारिसान है, अपीलान्ट के पिता व उतरदातागण संख्या 2 से 4 के पिता एवं 5 के ससुर तथा संख्या 6 से 10 के सोनाराम की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत मौजा मूढ़ों का तला (सनावड़ा) के खसरा नंबर 1012 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नंबर 1135 / 1014 रकबा 58.16 बीघा आई हुई है तथा अपीलान्ट एवं उतरदातागण संख्या 2 से 10 के वालिद सोनाराम का दिनांक 05.01.2019 को देहान्त हो गया उसके देहान्त के समय प्रथम वर्ग के जीवित वारिसान में अपीलान्ट दीपाराम, उतरदातागण हरखाराम, उदाराम, आम्बाराम, अंतरीदेवी, श्यामाराम, खमाणाराम, हीराराम, मदनलाल व मूली, कमला पूरी थे, एवं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार खातेदार सोनाराम के देहान्त के समय उसकी सम्पति के अधिकार उसके सभी वारिसान में बराबर हिस्से निहित हो गये। कमला और पूरी अपने हिस्से का हकतर्क अपीलान्ट तथा उपरदाता संख्या 02 से 05 के पक्ष में कर दिया है इसलिए इनको पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलान्ट के पिता सोनाराम की फौतगी पर विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही अपीलान्ट के भाई उत्तरदाता संख्या 2 से 3 ने करवाई जिस पर पटवारी हल्का सनावड़ा ने विरासत का नामान्तरकरण भरते समय सोनाराम के विधिक वारिसान में उसके पुत्र दीपाराम नाम का नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा भूलवंश अंकन नही कर नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया पटवारी हल्का द्वारा सोनाराम के विधिक वारिसान के गलत तथ्य पेश कर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 152 दिनांक 05.06.2019 ने विधि एवं तथ्य की भूल ग्राम पंचायत, सनावड़ा द्वारा की गई है। मृतक खातेदार के विधिक वारिसान अपीलार्थी एवं उत्तरदाता सं0 02 से 10 तक है। अपीलार्थी ने नामान्तरकरण को निरस्त करने एवं ग्राम मूढ़ों का तला (सनावड़ा) पटवार मण्डल सनावड़ा में स्थित खसरा नंबर 1012 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नंबर 1135 / 1014 रकबा 58.16 बीघा में अपीलार्थी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया जाकर अपीलान्ट के पिता के सही उत्तराधिकारी अपीलार्थी एवं उत्तरदाता सं0 02 से 10 का दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है। अपील पंजीयन कर उत्तरदातागण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उत्तरादातागण संख्या उत्तरदाता सं0 01 से 10 एवं 12 से 13 उपस्थित रहे।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

दीपाराम
हरखाराम
उदाराम
आम्बाराम
अंतरीदेवी
श्यामाराम

(विरेन्द्र कुमार)
सरपंच
ग्राम पंचायत मूढ़ों का तला
प.स. बाड़मेर

Advocate

तहसीलदार, बाड़मेर से अपील में अंकित तथ्यो के बारे में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। मजमे आम में उपस्थित लोगो से जानकारी ली गई। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन अनुसार अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 2 से 13 तक की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा मूढ़ों का तला खसरा नंबर 1012 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नंबर 1135/1014 रकबा 58.16 बीघा भूमि आई हुई है।

अपीलान्ट के पिता सोनाराम पुत्र पनाराम का फौतगी नामान्तरकरण दायर करते वक्त भूल से अपीलान्ट दीपाराम का नाम छुट गया था जबकि अपीलान्ट दीपाराम, स्व सोनाराम का प्रथम वर्ग का उतराधिकारी है। आज दिनांक 16.11.2021 को आयोजित प्रशासन गांवों के संग शिविर मूढ़ों का तला में मजमे आम में पुछताछ के आधार पर मृतक खातेदार सोनाराम पुत्र पनाराम जाति जाट का वंशावली वृक्ष निम्नानुसार है:—

सोनाराम पुत्र पनाराम

कमला (पुत्री) — पूरीदेवी (धर्मपत्नी) — दीपाराम (पुत्र)अपीलांट — हरखाराम (पुत्र) — रामाराम (पुत्र फौत) — उदाराम (पुत्र) — आम्बाराम (पुत्र)

अन्तरीदेवी (पत्नि) — श्यामाराम (पुत्र) — खुमाणाराम (पुत्र) — हीराराम (पुत्र) — मदनलाल (पुत्र) — मूलीदेवी (पुत्री)

उप पंजीयक बाड़मेर में पंजीयन क्रमांक 201903078100719 दिनांक 07.03.2019 के अनुसार पंजीबद्व हकत्यागनामा में वर्णित उतराधिकारी वंशावली वृक्ष तथा इनकी अन्य खातेदारी तहसील शिव के पटवार मण्डल आकली के ग्राम करणीपुरा के खसरा नंबर 505/386, 506/386 कुल रकबा 10.5138 हैक्टर में दर्ज उतराधिकारी इन्द्राज से भी पुष्टि होती है कि अपीलान्ट दीपाराम स्व0 सोनाराम का पुत्र है जो प्रथम वर्ग का उतराधिकारी है। मौजा मूढ़ों का तला के नामान्तरकरण संख्या 152 को निरस्त कर अपीलान्ट दीपाराम का उपरोक्त खातेदारी भूमि में नाम इन्द्राज कराने में हस्ताक्षरान सहखातेदार व गौतबिरान सहमत है। अतः मौजा मूढ़ों का तला के नामान्तरकरण संख्या 152 को अपास्त कर सोनाराम के उतराधिकारीयों के साथ अपीलांट दीपाराम का नाम खसरा नंबर 1012, 1135/1014 कुल रकबा 58.18 बीघा में दर्ज किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, सनावड़ा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 152 पर पारित आदेश दिनांक 05.06.2019 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बाड़मेर को आदेश दिये जाते है कि नये सिरे से नामान्तरकरण खोला जाकर मौजा मूढ़ों का तला खसरा नंबर 1012 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नंबर 1135/1014 रकबा 58.16 बीघा भूमि में अंकित मृतक खातेदार सोनाराम पुत्र पनाराम जाति जाट के वारिशान के साथ मे अपीलान्ट दिपाराम का नाम सहखातेदार के रूप मे अंकित करते हुए समस्त राजस्व अभिलेख में अमलदरामद सुनिश्चित करावे। आदेश मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर